शांति देवी बनाम अशोक वगै0
वाद सं0 87/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जंयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 87/2025 दायर तारीख :– 27.06.2025

शान्ति देवी पत्नी भालूराम जाति जाट निवासी मलिकपुरा तह0 कि0 रेनवाल

वदिया

बनाम

1. अशोक पुत्र मालीराम
2. केशर देवी उर्फ माया देवी पुत्री मुरली
3. गणपत पुत्र भूरा (फौत)
   3/1 राजेन्द्र पुत्र स्व0 गणपत
   3/2 फूलचन्द पुत्र स्व0 गणपत
   3/3 कमला देवी पत्नी स्व0 गणपत
4. गणेश पुत्र लादूराम
5. गिरधारी पुत्र मालीराम
6. नारायण पुत्र रामबक्स
7. बजरंगलाल पुत्र मुरली
8. भगवती देवी पत्नी मुरली (फौत) कायम मुकामान प्रतिवादी संख्या 02,07,10,12
9. रामेश्वर पुत्र लादूराम
10. रामेश्वरलाल पुत्र मुरली
11. सुन्दरदेवी पत्नी मूलचन्द
12. सुरजीदेवी पुत्र मुरली
    समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 34 कि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर।
13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा जरिये प्रबन्धक
14. तहसीलदार तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– श्री रामसिंह अधिवक्ता वादिया
श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,3/1 से 3/3 ,4, 5,6,7,9,10,11,12
पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

निर्णय दिनांक 6/8/25

1. वादिया ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया वादीया व प्रतिवादीगण की सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या 115 की आराजी खसरा नम्बर 109/1 रकबा 1.5680 हैक्टैयर कुल किता 1 रकबा 1.5680 वाके ग्राम रेनवाल, पटवार हल्का रेनवाल , भू0अ0नि0 क्षेत्र रेनवाल , तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर वादिया व प्रतिवादीगण राजस्व जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात वादिया व प्रतिवादीगण की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो रखा है तथा वादीया व प्रतिवादीगण अपने जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बुजुर्गान के समय से वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथ अपने अपने दर्ज हिस्से की भूमि का मौके कब्जे अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादिया ने उपरोक्त आराजीयात के रोड साइड सीमा पर खाम

उपखण्ड अधिकारी
रेनवाल

सम्भावनात् कुर्सीगान के समय से बनाकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के मौके मोके वादिया की भूमि है। जिस पर वादिया काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही है। वादीया ने प्रतिवादी को कई बार वादग्रस्त भूमि का मौके कब्जे अनुसार के सिद्धांत के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते आ रहे हैं। तथा बहाने बाजी करते आ रहे है। जिससे वादिया अपने हक व हिस्से की भूमि की मेडबंदी कायम करने एवं भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए ऋण इत्यादि लेने में भारी समस्याओं का सामना करना पडता है। तथा काश्त को लेकर हमेशा लडाई झगडा होने की संभावना बनी रहती है। तथा प्रतिवादीगण वादिया के खास मकानों से बेदखल करने पर आमदा रहते है। व वादिया के हिस्से में अवैध निर्माण करने की धमकियां देते है। प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है जिसके कारण प्रतिवादीगण मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके वादिया को उनके हक व हिस्से की भूमि व खास मकान से बेदखल करने पर आमदा है। तथा मनचाही जगह कब्जा करने व वादिया को बेदखल करने की फिराक में लगे हुये है। इसी आशय से दिनांक 30.05.2025 को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये और मनचाही जगह से भूमि पर काश्त करने लगे एवं मनचाही जगह निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने पर उतारू हो गये तब वादिया ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया और विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण उग्र होते हुये वादिया को धमकी दी की हम वादग्रस्त भूमि का निर्माण/बेचान करके दीगर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवा देंगे। इसलिए वादिया को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1,2,3/1 से 3/3 ,4, 5,6,7,9,10,11,12 की ओर से वकील श्री पुष्पेन्द्र सिंह हाजिर हुये । उक्त पक्षकारान अधिवक्ताओं के द्वारा आदेशिका पर मौके के कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । प्रतिवादी संख्या 13 फौत शुदा है। प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकार सरकार है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की।

4. प्रकरण दिनांक 12.07.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

5. बहस वादी व पैरोकार सरकार को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वादीया तथा वकील प्रतिवादीगण की ओर से नक्शे कुर्रेजात पर कोई आपत्ति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शे कुर्रेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एवं नक्शे कुर्रेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन उपरान्त यह न्यायालय वादिया का वाद मुताबिक नक्शे कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम रेनवाल तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अशोक पुत्र मालीराम हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/52 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा कमला देवी पत्नी गणपत लाल हिस्सा 5/62 जाति जाट सा0 देह खातेदारान राहिन हिस्सा 5/77 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा केशरदेवी पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार गणेश पुत्र लादूराम हिस्सा 1/52 जाति जाट सा0 मलिकपुरा खातेदार गिरधारी पुत्र मालीराम हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0देह खातेदार नारायण पुत्र रामबक्श हिस्सा 10/52 जाति जाट सा0देह खातेदार फुलचन्द ताकर पुत्र गणपत लाल हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/77(पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा बजरंगलाल पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार भगवती देवी पत्नी मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राजेश कुमार ताकर पुत्र गणपत लाल हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/77 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा रामेश्वर पुत्र लादूराम हिस्सा 1/52 जाति जाट सा0 मलिकपुरा खातेदार रामेश्वरलाल पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0देह खातेदार सुन्दरदेवी पत्नी मूलचन्द	खसरा नम्बर 109/1/1 रकबा 0.1265 किस्म बारानी–1 लगान 0.47

उपखण्ड अधिकारी
रेनवाल

	हिस्सा 5/52 जाति सा0 देह खातेदार सूरजीदेवी पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार	
2	शान्ति देवी पत्नी भोलूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट निवासी मलिकपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर खातेदार	खसरा नम्बर 109/1/2, रकबा 0.2529, किस्म बारानी–1, लगान 0.94
3	अशोक पुत्र मालीराम हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/52 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा कमला देवी पत्नी गणपत लाल हिस्सा 5/62 जाति जाट सा0 देह खातेदारान राहिन हिस्सा 5/77 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा केशरदेवी पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार गणेश पुत्र लादूराम हिस्सा 1/52 जाति जाट सा0 मलिकपुरा गिरधारी पुत्र मालीराम हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0देह खातेदार नारायण पुत्र रामबक्श हिस्सा 10/52 जाति जाट सा0देह खातेदार फुलचन्द ताकर पुत्र गणपत लाल हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/77(पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा बजरंगलाल पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार भगवतीदेवी पत्नी मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0देह खातेदार राजेश कुमार ताकर पुत्र गणपत लाल हिस्सा 5/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/77 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा	खसरा नम्बर 109/1/3, रकबा 1.1886, किस्म –बारानी–1 , लगान 4.42

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

	रानेश्वर पुत्र लादूराम हिस्सा 1/52 जाति जाट सा0 नलिकपुरा खातेदार रानेश्वरलाल पुत्र मुरली हिस्सा 2/52 जाति जाट सा0देह खातेदार सुन्दरदेवी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 5/52 जाति सा0 देह खातेदार सूरजीदेवी पुत्र मुरली हिस्साा 2/52 जाति जाट सा0 देह खातेदार	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 6.8.25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सर्वेश शर्मा) आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ-रेनवाल